मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/ 614 /1257452/2023/सात/शा.2 भोपाल, दिनांक 26..मई, 2023

प्रति

कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषयः माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ग्वालियर खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2578 /2022 में पारित आदेश दिनांक 15 मार्च 2023 के अनुसरण में राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व मामलों के निर्वतन हेतु निर्देश।

विषयांकित माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ग्वालियर खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2578/2022 में पारित आदेश दिनांक 15 मार्च, 2023 द्वारा अवधारित न्याय सिद्धांत के अनुक्रम में राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व मामलों के निर्वतन हेतु यह निर्देश जारी किए जा रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा अपने विषयांकित आदेश में प्राधिकारियों द्वारा न्यायिक/अर्द्धन्यायिक कर्तव्यों के निर्वतन हेतु निम्न महत्वपूर्ण टिप्पणी की हैं-

"All authorities must remind themselves that "**Every "F I L E"with same alphabets, contains a "L I F E". (See: In Re State of Madhya Pradesh Vs. Pankaj Mishra, 2021 SCC Online MP 5480).** In other words, all authorities discharging public duties or performing judicial/quasi-judicial functions must be sensitive to the cause of Justice as Supreme Virtue and must harbour the thought that every **"FILE"** carries a **"LIFE"**, thereof they must be sensitive to Heal a Life rather than counting numbers of disposals only."

2/ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विषयांकित मामले में वसीयत के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारियो जिसमें अपीलीय प्राधिकारी भी सम्मिलित है, द्वारा अपेक्षित सतर्कता और सजगता में कमी, की गई लापरवाही और मान्य न्याय सिद्धांतों की उपेक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट किया है तथा यह अपेक्षा की है कि राजस्व अधिकारियों को अपने न्यायिक/अर्द्धन्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुए ऐसा कोई न्याय निर्णयन, जिसमें कि स्पष्टतः व्यवहार न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार है, नहीं करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा भी की गई है कि किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष जब कभी वसीयत के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही की जाना हो, तब राजस्व अधिकारी को **AIR 2000 SC 1283 Rohini Prasad and others Vs. Kasturchand and another,** as well as in the case of **Jitendra Singh Vs. State of Madhya Pradesh (SLP (C) No. 13146/21) = 2021 SCC online SC 802,** Full Bench judgment of this Court in the case of **Ramgopal Kanhaiyalal Vs. Chetu Batte, AIR 1976 MP 160,** Division Bench judgement of this Court in the case of **Hariprasad Bairagi Vs. Radheshyam and others, 2021 (2) Revenue Nirnay 217,**

Scanned with OKEN Scanner

in **W.A. No. 317/2021 dated 20.10.2021 in the case of Smt. Nandita Singh Vs. Ranjit @ Bhaiya Mohite & others** as well as Division Bench Judgement of this Court in the case of **Murari and another Vs. State of Madhya Pradesh and others 2020 (4) M.P.L.J. 139** में प्रतिपादित न्याय सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए।

3/ अतएव निर्देशित किया जाता है कि वसीयत के आधार पर चाहे गये नामांतरण के मामलों में सभी संभावित हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाए तथा सुनवाई के किसी भी प्रक्रम (stage) पर वसीयत के विवादित होने का तथ्य संज्ञान में आने पर उल्लेखित न्याय दृष्टांतों तथा माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर द्वारा विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश को विचारण में लेते हुये ही कोई न्याय-निर्णयन किया जाये।

4/ कृपया उक्तानुसार निर्देश अपने समस्त अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को संसूचित करते हुए तदानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें।

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक/615/1257452/2023/सात/शा.2 भोपाल, दिनांक 26 मई, 2023

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. समस्त सभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
6. गाई फाईल

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

Scanned with OKEN Scanner